ऑन लाईन न. RCMS 2024/157

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती रीना, आर०ए०एस०

ई०सी०एक्ट प्रकरण सं० 10/2024

राज्य सरकार जरिये श्री कविता, जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर

प्रार्थी

बनाम

1. श्री मोहित शर्मा पुत्र श्री दीनदयाल शर्मा, वार्ड न. 05 व14, जाति ब्रह्मण, सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थी

प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम , 1955 की धारा 6 ए आवश्यक के तहत जब्तशुदा सामग्री कुल 370 लीटर डीजल व 70 लीटर पेट्रोल मय 03 प्लास्टिक ड्रम, 10–10 लीटर क्षमता के 02 लोहे के माप, 05 लीटर क्षमता 01 लोहे का माप, प्लास्टिक कीप एवं 02 हस्तचलित पम्प को राजसात करने बाबत्।

उपस्थित : जिला रसद अधिकारी, विभागीय प्रतिनिधि

अप्रार्थी श्री मोहित शर्मा उपस्थित।

निर्णय दिनांक: 22.11.2024

प्रस्तुत प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 25.09.2024 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायत की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टॉफ पवनप एग्रो, रिको एरिया, सादुलशहर पर पहुंचे। मौक पर पवन एग्रो उद्योग रिको एरिया, सादुलशहर में आगे की तरफ वेयर हाउस बना हुआ था तथा पीछे की तरफ दुकान बनी हुई पाई गई। मौके पर पीछे स्थित दुकान बंद पाई गई। उक्त स्थल पर पीछे बनी हुई दुकान में अवैध पेट्रोल व डीजल के भण्डार का संदेह होने पर मौके पर पर पवन एग्रो उद्योग रिको एरिया, सादुलशहर के मालिक श्री पवन कुमार को जरिए दूरभाष संपर्क करने पर उसने बताया कि उक्त स्थल पर पीछे बनी हुई दुकान श्री मोहित शर्मा पुत्र श्री दीनदयाल, वार्ड न. 05 व 14, सादुलशहर को किराए पर दिया होना बताया। मौके पर जरिए दूरभाष श्री मोहित शर्मा को बुलाया गया। मौके पर पूछताछ पर पवन एग्रो उद्योग में पीछे की तरफ बनी दुकान को पवन एग्रो उद्योग के मालिक श्री पवन कुमार से किराये पर लिया होना बताया। मौके पर उक्त दुकान खुलवाकर दौराने जांच उक्त दुकान में 03 प्लास्टिक की ड्रमों में कुल 370 लीटर डीजल व 70 लीटर पेट्रोल, मय 3 प्लास्टिक ड्रम, 10–10 लीटर क्षमता के 02 लोहे के माप, 05 लीटर क्षमता 01 लोहे का माप, प्लास्टिक कीप एवं 02 हस्तचलित पम्प पाए गए। मौके पर पाए गए सामान के बारे में पुछताछ करने पर श्री मोहित शर्मा ने उक्त डीजल व पेट्रोल मय सामग्री स्वयं का होना स्वीकार किया। मौके पर पेट्रोल व डीजल से संबंधी कोई बिल आदि भी नहीं प्रस्तुत किया गया। श्री मोहित शर्मा ने पंजाब से सस्ते दाम पर पेट्रोल खरीद कर लाना तथा उपभोक्ताओं को विक्रय करना बताया। श्री मोहित शर्मा ने डीजल व पेट्रोल को बेचान करने संबंधी कागजात/अनुमति/अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं किया। अतः बिना किसी वैध दस्तावेज के भण्डारण व विक्रय करने के कारण मौके पर पाए गए कुल 370 लीटर डीजल व 70 लीटर पेट्रोल, मय 3 प्लास्टिक ड्रम, 10–10 लीटर क्षमता के 02 लोहे के माप, 05 लीटर क्षमता 01 लोहे का माप, प्लास्टिक कीप एवं 02 हस्तचलित पम्प को जरिए फर्द जब्ती जब्त किया गया। मौकै पर जब्त किया गया

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

370 लीटर डीजल व 70 लीटर पेट्रोल, मय 3 प्लास्टिक ड्रम, 10–10 लीटर क्षमता के 02 लोहे के माप, 05 लीटर क्षमता 01 लोहे का माप, प्लास्टिक कीप एवं 02 हस्तचलित पम्प को मौके पर ही श्रीकृष्णा फिलिंग स्टेशन, सादुलशहर(मन्नीवाली रोड) के संचालक श्री सन्नी शर्मा पुत्र श्री दीनदयाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नं. 14 सादुलशहर की सुपुर्दगी में दिया गया।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री मोहित शर्मा पुत्र श्री दीनदयाल शर्मा ने बिना अनुमति/अनुज्ञापत्र के पेट्रोल का बेचान करना मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल(प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 2(थ), 3(4), 4 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम , 1955 की धारा 6ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौके से जब्त 370 लीटर डीजल व 70 लीटर पेट्रोल, मय 3 प्लास्टिक ड्रम, 10–10 लीटर क्षमता के 02 लोहे के माप, 05 लीटर क्षमता 01 लोहे का माप, प्लास्टिक कीप एवं 02 हस्तचलित पम्प को राजसात करने का आदेश फरमावें।

परिवाद प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा उक्त डीजल व पेट्रोल का कोई अवैध बेचान नहीं किया जा रहा था। उक्त डीजल व पेट्रोल अप्रार्थी जितेन्द्र कुमार द्वारा अपने कृषि कार्य हेतु खरीद किया हुआ था। अवैध डीजल का भण्डारान कर अवैध बिक्री का कार्य नहीं किया जाता था। अतः जब्तशुदा 370 लीटर डीजल व 70 लीटर पेट्रोल, मय 3 प्लास्टिक ड्रम, 10–10 लीटर क्षमता के 02 लोहे के माप, 05 लीटर क्षमता 01 लोहे का माप, प्लास्टिक कीप एवं 02 हस्तचलित पम्प को प्रार्थी को वापिस दिया जाकर उक्त प्रकरण दाखिल दफतर किया जावे।

राजकीय पैरोकार ने अपने बहस में व्यक्त किया है कि दिनांक 25.09.2024 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिकी की शिकायत की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टॉफ पवनप एग्रो, रिको एरिया, सादुलशहर पर पहुंचे। मौक पर पवन एग्रो उद्योग रिको एरिया, सादुलशहर में आगे की तरफ वेयर हाउस बना हुआ था तथा पीछे की तरफ दुकान बनी हुई पाई गई। मौके पर पीछे स्थित दुकान बंद पाई गई। उक्त स्थल पर पीछे बनी हुई दुकान में अवैध पेट्रोल व डीजल के भण्डार का संदेह होने पर मौके पर पर पवन एग्रो उद्योग रिको एरिया, सादुलशहर के मालिक श्री पवन कुमार को जरिए दूरभाष संपर्क करने पर उसने बताया कि उक्त स्थल पर पीछे बनी हुई दुकान श्री मोहित शर्मा पुत्र श्री दीनदयाल, वार्ड न. 05 व 14, सादुलशहर को किराए पर दिया होना बताया। मौके पर जरिए दूरभाष श्री मोहित शर्मा को बुलाया गया। मौके पर पूछताछ पर पवन एग्रो उद्योग में पीछे की तरफ बनी दुकान को पवन एग्रो उद्योग के मालिक श्री पवन कुमार से किराये पर लिया होना बताया। मौके पर उक्त दुकान खुलवाकर दौराने जांच उक्त दुकान में 03 प्लास्टिक की ड्रमों में कुल 370 लीटर डीजल व 70 लीटर पेट्रोल, मय 3 प्लास्टिक ड्रम, 10–10 लीटर क्षमता के 02 लोहे के माप, 05 लीटर क्षमता 01 लोहे का माप, प्लास्टिक कीप एवं 02 हस्तचलित पम्प पाए गए। मौके पर पाए गए सामान के बारे में पुछताछ करने पर श्री मोहित शर्मा ने उक्त डीजल व पेट्रोल मय सामग्री स्वयं का होना स्वीकार किया। मौके पर पेट्रोल व डीजल से संबंधी कोई बिल आदि भी नहीं प्रस्तुत किया गया। श्री मोहित शर्मा ने पंजाब से सस्ते दाम पर पेट्रोल खरीद

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

कर लाना तथा उपभोक्ताओं को विक्रय करना बताया। श्री मोहित शर्मा ने डीजल व पेट्रोल को बेचान करने संबंधी कागजात/अनुमति/अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं किया। अतः बिना किसी वैध दस्तावेज के भण्डारण व विक्रय करने के कारण मौके पर पाए गए कुल 370 लीटर डीजल व 70 लीटर पेट्रोल, मय 3 प्लास्टिक ड्रम, 10–10 लीटर क्षमता के 02 लोहे के माप, 05 लीटर क्षमता 01 लोहे का माप, प्लास्टिक कीप एवं 02 हस्तचलित पम्प को जरिए फर्द जब्ती जब्त किया गया। श्री मोहित शर्मा पुत्र श्री दीनदयाल शर्मा ने बिना अनुमति/अनुज्ञापत्र के पेट्रोल का बेचान करना मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल(प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 2(थ), 3(4), 4 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम , 1955 की धारा 6ए के तहत मौके से जब्त 370 लीटर डीजल व 70 लीटर पेट्रोल, मय 3 प्लास्टिक ड्रम, 10–10 लीटर क्षमता के 02 लोहे के माप, 05 लीटर क्षमता 01 लोहे का माप, प्लास्टिक कीप एवं 02 हस्तचलित पम्प को राजसात किया जाए।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि दिनांक 25.09.2024 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायत की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टॉफ पवनप एग्रो, रिको एरिया, सादुलशहर पर पहुंचे। मौक पर पवन एग्रो उद्योग रिको एरिया, सादुलशहर में आगे की तरफ वेयर हाउस बना हुआ था तथा पीछे की तरफ दुकान बनी हुई पाई गई। मौके पर पीछे स्थित दुकान बंद पाई गई। उक्त स्थल पर पीछे बनी हुई दुकान में अवैध पेट्रोल व डीजल के भण्डार का संदेह होने पर मौके पर पर पवन एग्रो उद्योग रिको एरिया, सादुलशहर के मालिक श्री पवन कुमार को जरिए दूरभाष संपर्क करने पर उसने बताया कि उक्त स्थल पर पीछे बनी हुई दुकान श्री मोहित शर्मा पुत्र श्री दीनदयाल, वार्ड न. 05 व 14, सादुलशहर को किराए पर दिया होना बताया। मौके पर जरिए दूरभाष श्री मोहित शर्मा को बुलाया गया। मौके पर पूछताछ पर पवन एग्रो उद्योग में पीछे की तरफ बनी दुकान को पवन एग्रो उद्योग के मालिक श्री पवन कुमार से किराये पर लिया होना बताया। मौके पर उक्त दुकान खुलवाकर दौराने जांच उक्त दुकान में 03 प्लास्टिक की ड्रमों में कुल 370 लीटर डीजल व 70 लीटर पेट्रोल, मय 3 प्लास्टिक ड्रम, 10–10 लीटर क्षमता के 02 लोहे के माप, 05 लीटर क्षमता 01 लोहे का माप, प्लास्टिक कीप एवं 02 हस्तचलित पम्प पाए गए। मौके पर पाए गए सामान के बारे में पुछताछ करने पर श्री मोहित शर्मा ने उक्त डीजल व पेट्रोल मय सामग्री स्वयं का होना स्वीकार किया। मौके पर पेट्रोल व डीजल से संबंधी कोई बिल आदि भी नहीं प्रस्तुत किया गया। श्री मोहित शर्मा ने पंजाब से सस्ते दाम पर पेट्रोल खरीद कर लाना तथा उपभोक्ताओं को विक्रय करना बताया। श्री मोहित शर्मा ने डीजल व पेट्रोल को बेचान करने संबंधी कागजात/अनुमति/अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं किया। अतः बिना किसी वैध दस्तावेज के भण्डारण व विक्रय करने के कारण मौके पर पाए गए कुल 370 लीटर डीजल व 70 लीटर पेट्रोल, मय 3 प्लास्टिक ड्रम, 10–10 लीटर क्षमता के 02 लोहे के माप, 05 लीटर क्षमता 01 लोहे का माप, प्लास्टिक कीप एवं 02 हस्तचलित पम्प को जरिए फर्द जब्ती जब्त किया गया।

इस प्रकार श्री मोहित शर्मा पुत्र श्री दीनदयाल शर्मा द्वारा अवैध तरीके से बिना अनुमति/अनुज्ञापत्र के पेट्रोल व डीजल के बेचान का कार्य किया जा रहा था।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

श्री मोहित शर्मा पुत्र श्री दीनदयाल शर्मा, वार्ड न. 05 व14, जाति ब्रहम्ण, सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर के द्वारा बिना अनुमति/अनुज्ञापत्र के पेट्रोल व डीजल बेचान का उक्त कृत्य कर मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल(प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 2(थ), 3(4), 4 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत मौके से जब्त कुल 370 लीटर डीजल व 70 लीटर पेट्रोल, मय 3 प्लास्टिक ड्रम, 10–10 लीटर क्षमता के 02 लोहे के माप, 05 लीटर क्षमता 01 लोहे का माप, प्लास्टिक कीप एवं 02 हस्तचलित पम्प को राजसात किया जाता है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया

(रीना)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
(प्रशासन), श्रीगंगानगर

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)